बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

कार्यालय आदेश संख्याः–स्था०1/आ०2–22/2016 149 पटना, दिनांकः– 13.04.18

कार्यालय आदेश

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 633(नि०को०)/रा० दिनांक 08.06.2016 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 512 दिनांक 6.05.2016 द्वारा प्राप्त प्रपत्र 'क' के आधार पर निदेशालय के का०आ० सं० 165 सहपठित ज्ञापांक 1277 दिनांक 06.07.2016 द्वारा श्री संजय कुमार राय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बिदुपुर, वैशाली के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्ता (विभागीय जॉच), वैशाली को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्ता, वैशाली के पत्रांक 92/जिला भू०सु० दिनांक 24.01.2017 द्वारा श्री संजय कुमार राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का संचालन–सह–जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि "उक्त आरोप के सभी बिन्दुओं पर आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण बनावटी है। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। इनका कार्यकलाप संतोषजनक नहीं रहा है। राजस्व की बैठक से राजस्व पदाधिकारी को अनुपस्थित रहना ही यह प्रमाणित करता है कि इन्हें राजस्व के कार्यो में अभिरूचि नहीं है। राजस्व पदाधिकारी का मुख्य कार्य लगान की वसूली करना/करवाना होता है तथा राजस्व के अन्य महत्वपूर्ण कार्यो को समय पर निष्पादित कर उसका अनुपालन करना होता है। राजस्व के विभिन्न कार्यो की समीक्षा से भी यह प्रतीत होता है कि इनका प्रगति असंतोषजनक है। इनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध होते हैं।"

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के आरोप प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर श्री संजय कुमार राय से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में श्री राय ने यह उल्लेख किया है कि (i) दिनांक 15.01.2016 को सुबह स्नान करते वक्त बाथरूम में गिर जाने से सर में चोट लग गया , जिससे कुछ समय के लिए अचेत हो गया तथा उल्टी भी होने लगी। (ii) जिला समन्वय समिति की बैठक में नहीं जा पोने के कारण कार्यालय के प्रधान सहायक को सभी कागजातों के साथ बैठक में अधिकार पत्र सहित भेजा गया था। (iii) दिनांक 06.01.2016 को राजस्व की बैठक में पूछे गये राजस्व लक्ष्य का लंबे समय तक बीमार रहने के कारण लक्ष्य की अवलोकन नहीं कर सका था और उनके द्वारा लक्ष्य तीस लाख रूपये बताया गया जो पूर्व लक्ष्य था। (iv) पैर एवं हाथों में दुर्धटना के कारण मल्टी फ्रैक्चर हो जाने के कारण लंबे समय तक छुट्टी में रहने के कारण लक्ष्य से वसूली कम रहा । (v) अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर के आदेश के अनुपालन में

03048 स्था0 1 (11 अप्रैल 2018) संजय कुमार राय

मतदान केन्द्र का स्थान परिवर्त्तन की जॉचकर रहा था। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मोबाईल पर आग लगने का खबर प्राप्त होने पर आगलगी की घटनास्थल पर पहुँचकर आवश्यक सहायता मुहैया कराया।

इस प्रकार उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इन्होंने संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने स्पष्टीकरण में दिया था, जिसके समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

राजस्व की बैठक में अनाधिकृत अनुपस्थिति, अंचल अधिकारी के मुख्य कार्य अर्थात् राजस्व वसूली का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर मनमाने ढ़ग से उसका निर्धारण किया जाना एवं आगलगी की घटना में ससमय उपस्थित नहीं होना इनके कार्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की ओर इशारा करता है। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

4. संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री संजय कुमार राय पर प्रमाणित आरोप के लिए संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री संजय कुमार राय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बिदुपुर, वैशाली संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, शंभुगंज, बॉका पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(पूनम)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–22/2016 872 पटना, दिनांक– 13.04.18

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना

2. अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
3. जिला पदाधिकारी, वैशाली/बॉका।
4. कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/बॉका।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकरी, वैशाली/बॉका।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंभुगंज, बॉका।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
8. श्री संजय कुमार राय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बिदुपुर, वैशाली संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, शंभुगंज, बॉका

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4

निदेशक

03048 स्था01 (11 अप्रैल 2018) संजय कुमार राय.